# समाहरणालय, पटना
(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612– 2219116(का०)
फैक्स नं०– 0612–2218900
E-mail- dismgmtpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

जिलाधिकारी,
पटना।


## आदेश

आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक 5298/आ०प्र० दिनांक 09.12.13 द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में बाढ़ से प्रभावित होनेवाले परिवारों को सुरक्षित स्थलों पर पहुँचाने हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 86/आ०प्र० दिनांक 15.01.2014 द्वारा नये नावों के क्रय हेतु दैनिक समाचार पत्रों में अल्पकालीन निविदा सूचना (सं० 01/2014) का प्रकाशन किया गया था। उक्त के संदर्भ में प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदित दर की आपूर्तिकर्त्ता फर्म श्री रामबाबू शर्मा, दमराही घाट, पटना सिटी, Tin No.- 10061976035 मो० सं०–7870786251 की निविदा को दिनांक 29.01.2014 को आहूत जिला क्रय समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया है। संबंधित फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 24.02.2014 को प्रस्तुत किए गए एकरारनामा के आलोक में निम्नांकित विशिष्टियों एवं विवरणों के अनुरूप उक्त फर्म को नये नावों की आपूर्त्ति का आदेश दिया जाता है :–

| क्र० | सामग्री का नाम | नाव का आकार | आपूर्ति की जाने वाली नई नावों की संख्या | सभी कर, अधिभार, मार्ग व्यय सहित निर्धारित दर (प्रति नाव) | निर्धारित विशिष्टियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01. | नाव | 20 फीट X 7 फीट X 2 फीट | 50 | 39,500.00 (उन्नचालीस हजार पाँच सौ) | नाव का पेंदी जामुन लकड़ी एवं शेष सखुआ लकड़ी का, सभी आवष्यक सामग्री सहित, निर्दिष्ट रीति से रंग/पेंट कर नाव की आपूर्ति की जायेगी। |

1. आपूर्त्तिकर्त्ता को नावों की आपूर्त्ति ऊपर दिए गए विवरण के आलोक में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।

2. निर्माण किये गये नये नाव इस हेतु गठित जांच दल द्वारा निरीक्षित एवं प्रमाणित होने चाहिए तथा तत्संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र अलग से आपूर्तिकर्त्ता फर्म को उपलब्ध कराना होगा। आपूर्ति किये जाने वाले नाव की गुणवत्ता जांच एवं लदान क्षमता निर्धारण हेतु अलग से टीम का गठन किया जा रहा है जिसके जांचोपरांत ही नाव की रंगाई आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा की जायेगी। इसके लिए आपूर्तिकर्त्ता को यथासमय इस कार्यालय में सूचना देना अनिवार्य होगा। आपूर्तिकर्त्ता फर्म को यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना गुणवत्ता जांच के नावों को प्राप्त नहीं किया जायेगा और न ही भुगतान की कार्रवाई ही की जायेगी।

3. आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेशित सामग्री (निर्दिष्ट गुणवत्ता, आकार एवं संख्या में) की आपूर्त्ति इस आदेश के निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अंदर जिला आपदा प्रबंधन शाखा, पटना द्वारा निर्दिष्ट अंचल मुख्यालय में करनी होगी जिसमें विफल रहने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध आवश्यक कानूनी एवं जमानत राशि जब्त करने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।



Amit 05/03/014.

4. लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक से होने के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुरूप नये निर्मित नावों की बाहरी दीवाल पर पेंट से नावों की क्रम संख्या एवं लदान क्षमता आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अंकित की जायेगी।

5. नये नावों के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी की गुणवत्ता जांच के पश्चात् इनकी आपूर्ति के पूर्व इन्हें पीले रंग के अघुलनशील पेंट से रंगा जायेगा ताकि ज्ञात हो सके कि वे सरकारी नावें हैं। साथ ही उन पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना जिला, नाव की क्रम संख्या एवं लदान क्षमता अंकित किया जायेगा।

6. गुणवत्ता जांच एवं अन्य सभी निर्दिष्ट शर्त्तों/विशिष्टियों के अनुरूप नये नावों की आपूर्ति करने के बाद आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरांत लेखा प्रदायी चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

7. आपूर्त्ति हेतु कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

8. आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XLI-02/14 287 /आ०प्र०, पटना दिनांक 04/03/14

प्रतिलिपि :– श्री रामबाबू शर्मा, दमराही घाट, पटना सिटी, Tin No.- 10061976035 मो० सं०–7870786251 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।